न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः—जीसीएमएस नं. 2022/412

01. होशियार सिंह पुत्र श्री राम यादव जाति अहीर निवासी ग्राम निहालपुरा तहसील नीमराना जिला अलवर।
02. भूपसिंह पुत्र श्रीराम यादव जाति अहीर निवासी ग्राम निहालपुरा तहसील नीमराना जिला अलवर।
03. घीसाराम पुत्र गोकल जाति अहीर निवासी ग्राम निहालपुरा तहसील नीमराना जिला अलवर।
04. श्योराम पुत्र गोकल जाति अहीर निवासी ग्राम निहालपुरा तहसील नीमराना जिला अलवर।
05. सुल्तान पुत्र गुरूदयाल जाति अहीर निवासी ग्राम निहालपुरा तहसील नीमराना जिला अलवर।
06. राजेश पुत्र गुरूदयाल जाति अहीर निवासी ग्राम निहालपुरा तहसील नीमराना जिला अलवर।
07. नाहर सिंह पुत्र गुरूदयाल जाति अहीर निवासी ग्राम निहालपुरा तहसील नीमराना जिला अलवर।
08. अनिता कुमारी पुत्री विरेन्द्र जाति अहीर निवासी ग्राम निहालपुरा तहसील नीमराना जिला अलवर।
09. सुनिता पुत्री विरेन्द्र जाति अहीर निवासी ग्राम निहालपुरा तहसील नीमराना जिला अलवर।
10. शान्ति बेवा मेहरचन्द जाति अहीर निवासी ग्राम निहालपुरा तहसील नीमराना जिला अलवर।
11. सत्यपाल पुत्र मेहरचन्द जाति अहीर निवासी ग्राम निहालपुरा तहसील नीमराना जिला अलवर।
12. कैलाश पुत्र मेहरचन्द जाति अहीर निवासी ग्राम निहालपुरा तहसील नीमराना जिला अलवर।
13. वेदकला पुत्री मेहरचन्द जाति अहीर निवासी ग्राम निहालपुरा तहसील नीमराना जिला अलवर।
14. अजीत पुत्र बलवीर जाति अहीर निवासी ग्राम निहालपुरा तहसील नीमराना जिला अलवर।
15. राजेश पुत्र बलवीर जाति अहीर निवासी ग्राम निहालपुरा तहसील नीमराना जिला अलवर।
16. दाताराम पुत्र बिहारी लाल जाति अहीर निवासी ग्राम निहालपुरा तहसील नीमराना जिला अलवर।
17. बसंत पुत्र बिहारी लाल जाति अहीर निवासी ग्राम निहालपुरा तहसील नीमराना जिला अलवर।

——अपीलान्ट्स

बनाम

01. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील नीमराना जिला अलवर।
02. जरिये सचिव ग्राम पंचायत निहालपुरा तहसील नीमराना जिला अलवर।

——मुख्य रेस्पोडेन्ट

02. विरेन्द्र पुत्र विशम्भर जाति अहीर निवासी ग्राम निहालपुरा तहसील नीमराना जिला अलवर।

संभागीय आयुक्त जयपुर

P.T.O.

04. मनोज कुमार पुत्र विशम्भर जाति अहीर निवासी ग्राम निहालपुरा तहसील नीमराना जिला अलवर।
05. मुन्नी बेवा विशम्भर जाति अहीर निवासी ग्राम निहालपुरा तहसील नीमराना जिला अलवर।
06. रमेश पुत्र श्योप्रसाद जाति अहीर निवासी ग्राम निहालपुरा तहसील नीमराना जिला अलवर।
07. धर्मपाल पुत्र कुन्दन जाति अहीर निवासी ग्राम निहालपुरा तहसील नीमराना जिला अलवर।
08. ब्रह्मादत्त पुत्र रामजीलाल जाति अहीर निवासी ग्राम निहालपुरा तहसील नीमराना जिला अलवर।
09. चन्द्रकला पुत्री रामजीलाल जाति अहीर निवासी ग्राम निहालपुरा तहसील नीमराना जिला अलवर।
10. राजबाला पुत्री रामजीलाल जाति अहीर निवासी ग्राम निहालपुरा तहसील नीमराना जिला अलवर।
11. सुमित्रा पुत्री गुरूदयाल जाति अहीर निवासी ग्राम निहालपुरा तहसील नीमराना जिला अलवर।
12. अनोखी देवी पत्नी विरेन्द्र जाति अहीर निवासी ग्राम निहालपुरा तहसील नीमराना जिला अलवर।
13. अविनाश पुत्र विरेन्द्र जाति अहीर निवासी ग्राम निहालपुरा तहसील नीमराना जिला अलवर।
14. प्रधुम्न पुत्र विरेन्द्र जाति अहीर निवासी ग्राम निहालपुरा तहसील नीमराना जिला अलवर।
15. कृपा बेवा बिजेन्द्र जाति अहीर निवासी ग्राम निहालपुरा तहसील नीमराना जिला अलवर।
16. लाल सिंह पुत्र दुर्गा पौत्र जयराम जाति अहीर निवासी ग्राम निहालपुरा तहसील नीमराना जिला अलवर।
17. अश्विनी पुत्र विजेन्द्र जाति अहीर निवासी ग्राम निहालपुरा तहसील नीमराना जिला अलवर।
18. कविता बेवा अतर सिंह जाति अहीर निवासी ग्राम निहालपुरा तहसील नीमराना जिला अलवर।
19 सायर पुत्र अतर सिंह जाति अहीर निवासी ग्राम निहालपुरा तहसील नीमराना जिला अलवर।
20. सचिन पुत्र अतर सिंह जाति अहीर निवासी ग्राम निहालपुरा तहसील नीमराना जिला अलवर।
21. राजाराम पुत्र दुर्गा जाति अहीर निवासी ग्राम निहालपुरा तहसील नीमराना जिला अलवर।
22. रामकिशन पुत्र दुर्गा जाति अहीर निवासी ग्राम निहालपुरा तहसील नीमराना जिला अलवर। **(मृतक दौराने अपील)**
    - 22/1. ज्ञानवती बेवा स्व. श्री रामकिशन,
    - 22/2. दिनेश पुत्र स्व. श्री रामकिशन,
    - 22/3. ज्योति पुत्री स्व. श्री रामकिशन,
    - 22/4. अल्का पुत्री स्व. श्री रामकिशन,समस्त जाति यादव निवासी ग्राम निहालपुरा तहसील नीमराना जिला अलवर।

23. ज्ञानप्रकाश पुत्र दुर्गा जाति अहीर निवासी ग्राम निहालपुरा तहसील नीमराना जिला अलवर।
24. रतन सिंह पुत्र करण सिंह जाति अहीर निवासी ग्राम निहालपुरा तहसील नीमराना जिला अलवर।
25. परमजीत पुत्र प्रदीप जाति अहीर निवासी ग्राम निहालपुरा तहसील नीमराना जिला अलवर।
26. आशीष पुत्र प्रदीप जाति अहीर निवासी ग्राम निहालपुरा तहसील नीमराना जिला अलवर।
27. अरूण पुत्र प्रदीप जाति अहीर निवासी ग्राम निहालपुरा तहसील नीमराना जिला अलवर।
28. चिरंजी पुत्री रूडाराम जाति अहीर निवासी ग्राम निहालपुरा तहसील नीमराना जिला अलवर।
29. कमला बेवा प्रभाती जाति अहीर निवासी ग्राम निहालपुरा तहसील नीमराना जिला अलवर।
30 भजनलाल पुत्र रामसिंह जाति अहीर निवासी ग्राम निहालपुरा तहसील नीमराना जिला अलवर।
31. रवि कुमार पुत्र रामसिंह जाति अहीर निवासी ग्राम निहालपुरा तहसील नीमराना जिला अलवर।
32. विशम्भर दयाल पुत्र श्रीराम जाति अहीर निवासी ग्राम निहालपुरा तहसील नीमराना जिला अलवर।

——तरतीबी रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थितिः—

1. **श्री प्रेमप्रकाश शर्मा, एडवोकेट अपीलार्थी की ओर से**
2. **श्री गौरवसिंह एडवोकेट, रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से**
3. **श्री के.आर. शर्मा रेस्पोडेन्ट संख्या 4 से 6, 8 से 11,16,21,23,25,26,27,32 की ओर से**

निर्णय

दिनांकः 09.01.2023

अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमराना जिला अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक ..... जिसके द्वारा ग्राम निहालपुरा(अकलीमपुर नारेडा चौराहा से नारनौल माजरी रोड तक) ग्राम निहालपुरा पटवार हल्का अकलीमपुर भू—अभिलेख कायसा तहसील नीमराना जिला अलवर में स्थित संयुक्त खाते की आराजी भूमि खसरा नम्बर 156, 157, 158, 159, 255, 253, 251, 250 में कायम किये गये रास्ते, से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि वाके ग्राम निहालपुरा में स्थित ग्राम व पटवार हल्का अकलीमपुर भू—अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र कायसा तहसील नीमराना में स्थित आराजी कृषि भूमि के खसरा नम्बर 156 रकबा 0.78 हैक्टेयर, 157 रकबा 0.50 हैक्टेयर खसरा नम्बर 158 रकबा 0.39 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 149 रकबा 0.54

संभागीय आयुक्त
जयपुर

हैक्टेयर खसरा नम्बर 255 रकबा 0.57 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 253 रकबा 0.54 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 251 रकबा 0.51 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 250 रकबा 0.63 हैक्टेयर स्थित हैं जिसके अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 3 लगायत 32 सहखातेदार काश्तकार है। उन्होने आगे कथन किया है कि ग्राम अकलीमपुर पंचायत अकलीमपुर नीमराना जिला अलवर द्वारा दिनांक 03.11.2021 व 18.11.2021 को अकलीमपुर नारेडा चौराहे से नारनौल माजरी रोड तक रास्ता निकाले जाने का प्रस्ताव संख्या 1 लिया जाकर तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिस पर तहसीलदार ने रास्ता निकाले जाने के संबंध में उपखण्ड अधिकारी नीमराना के समक्ष अनुशंषा की गई है एवं उपखण्ड अधिकारी व तहसीलदार दोनों ने एक ही दिनांक 20.11.2021 को मौका रिपोर्ट चाही गई जिस पर पटवार हल्का द्वारा खातेदारों को बिना सूचना व सहमति दिये मौका स्थिति के विपरित पटवार कार्यालय में बैठकर दिनांक 24.44.2021 को फर्द मौका रिपोर्ट तैयार कर तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत की गई जो तहसीलदार द्वारा उपखण्ड अधिकारी के समक्ष अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत की गई जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी द्वारा वादग्रस्त आराजी के खातेदारान को बिना सुनवाई का अवसर दिये ही अपीलाधीन निर्णय बिना नम्बर व बिना दिनांक का पारित किया गया जो निर्णय विधि, विधान, न्याय, प्राकृतिक न्याय एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं प्रलेखीय साक्ष्यों के सर्वथा प्रतिकूल होनें की वजह से अपास्त किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश कानून विरूद्व व न्याय शास्त्र के मूल सिद्वान्तों के विपरित है क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय ने बिना आदेश दिनांक अंकित किये ही प्रश्नाधीन आराजी के संबंध में रास्ता निकाले जाने का आदेश पारित किये है जो नॉन–स्पीकिंग की आदेश की श्रेणी में होने से निरस्तनीय हैं। उन्होने आगे कथन कि पटवारी हल्का द्वारा प्रश्नाधीन आराजी के राजस्व रिकार्ड मौका स्थिति की जांच नहीं की गई, न ही प्रभावित खातेदारों को सूचना व सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया, न ही मजमेआम में सार्वजनिक नोटिस जारी किया गया हैं, न ही रास्ता निकाले जाने के संबंध में सार्वजनिक उद्घोषणा की गई। इसलिये अपीलाधीन निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरित पारित किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। उन्होने आगे कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी हल्का व गिरदावर हल्का व तहसीलदार द्वारा भिजवाई गई रिपोर्ट के संबंध में सत्यता की जांच नहीं की गई। केवल मात्र प्रफोरमा में रिक्त स्थानों को भरते हुए अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रेषित कर दिया गया। इस प्रकार रास्ते के संबंध में की गई सम्पूर्ण प्रक्रिया विधि विरूद्व होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि प्रश्नाधीन आराजी अविभाजीत आराजी हैं जिसका विधिक रूप से खातेदारों के मध्य विभाजन नहीं हुआ है तथा ग्राम अकलीमपुर के खसरा नम्बर 156, 157, 158, 159, 253, 255, 251, 250 का उपयोग–उपभोग संयुक्त खातेदारों द्वारा अपने अन्य

खेतों में व ढाणी में आने जाने के लिये उपयोग–उपभोग में लिया जा रहा है। उक्त रास्ता सार्वजनिक रास्ते के रूप में कभी भी किसी भी ग्राम को नही जाता हैं, ना ही कोई सार्वजनिक रास्ता हैं जिसकी किस्म भूमि परिवर्तन अवैधानिक तौर पर परिपत्र व धारा 131 के गलत विश्लेषण के तौर पर की गई है जो निरस्त किये जाने योग्य हैं। अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि पटवारी द्वारा तहसीलदार को प्रस्तुत जांच रिपोर्ट दिनांक 24.11.2021 से भली प्रकार से प्रमाणित हो जाता है कि "जबकि प्रश्नाधीन आराजी में पूर्व में कोई रास्ता नही रहा हैं, न ही राजस्व रिकार्ड में रहा है, न ही वर्तमान में कोई रास्ता हैं।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जबकि धारा 136 में रास्ता निकाले जाने का कोई प्रावधान नही है बल्कि धारा 136 में केवल लिपिकीय त्रुटियों को ही दुरूस्त किया जा सकता हैं। इस कारण भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने योग्य हैं। उन्होने आगे कथन किया है कि ग्राम पंचायत को खातेदारी भूमि में से रास्ता निकाले जाने के संबंध में बिना खातेदारों की सहमति के प्रस्ताव लेने का कोई कानूनन अधिकार प्राप्त नही हैं फिर भी ग्राम पंचायत अकलीमपुर के सरपंच ने क्षेत्राधिकार से बाहर विधि विरूद्व तरीके से प्रश्नाधीन आराजी के संबंध में प्रस्ताव तैयार किया गया हैं जिसके आधार पर पटवारी हल्का, तहसीलदार व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सम्पादित समस्त कार्यवाही विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। अतः अपील के समस्त तथ्यों के मद्देनजर अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमराना जिला अलवर द्वारा ग्राम निहालपुरा (अकलीमपुर नारेड़ा चौराहा से नारनौल माजरी रोड़ तक) ग्राम निहालपुरा पटवार हल्का अकलीमपुर भू अभिलेख कायसा तहसील नीमराना जिला अलवर में स्थित संयुक्त खाते की आराजी भूमि खसरा नम्बर 156, 157, 158, 159, 255, 251, 250 में अवैंधानिक रास्ता कायम किया गया है को निरस्त फरमाया जावें।

रेस्पोडेन्ट संख्या 4 से 6, 8 से 11, 16, 21, 23, 25, 26, 27, 32 के अधिवक्ता ने भी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त आराजी के रिकार्डेड खातेदारान को बिना कोई नोटिस दिये एवं बिना किसी प्रकार की कोई सुनवाई किये ही बिना नम्बर व बिना दिनांक अंकित किये ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरित होने से खारिज योग्य है। अतः अपील के समस्त तथ्यों के मद्देनजर अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश को निरस्त फरमाया जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने कथन किया है कि प्रश्नगत/विवादित रास्ते हेतु न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संख्या 2 बहरोड़ के समक्ष एक दावा मय प्रार्थना अस्थाई निषेधाज्ञा बउनवानी होशियारसिंह व

P.T.O.

अन्य बनाम राजस्थान सरकार व अन्य बाबत मुआवजा हेतु प्रस्तुत किया गया है जो वाद वर्तमान में विचाराधीन है एवं उक्त प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा जो दीवानी विविध प्रकरण संख्या 46/02/2022 के रूप में दर्ज था जो न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश क्रम संख्या 2 बहरोड़ ने आदेश दिनांक 20.04.2022 द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध निर्धारित किया, उक्त प्रकरण में न्यायालय द्वारा विवादित रास्ते में कमिश्नर नियुक्त कर मौका रिपोर्ट मंगवाई गई एवं प्रकरण के तथ्यों, कमिश्नर की मौका रिपोर्ट व विवादित रास्ते के वास्तबिक फोटोग्राफस का अवलोकन कर न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में विवादित रास्ते के सम्बन्ध में अपीलार्थी के पक्ष में प्रथम दृष्टया सुविधा का सन्तुलन और अपूर्णीय क्षति नही होना पाया एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को खारिज फरमाया गया है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने कथन किया है कि उक्त विवादित रास्ता आवागमन हेतु कई दशकों से है एवं उक्त रास्ता दो गांवों को जोड़ता है इसलिये दोनों गांवों के लोग आवागमन हेतु उक्त रास्ते का उपयोग कई दशकों से करते आ रहे है, उक्त विवादित रास्तें को राजस्व रिकार्ड में गैरमुमकीन रास्ता दर्ज करवाने हेतु पंचायत द्वारा सह–खातेदारान व आमजन की पूर्ण सहमति के पश्चात् ही एक प्रस्ताव पारित किया गया था जिसमें उक्त विवादित अविभाजित भूमि के खातेदार चन्द्रपाल व घासीराम द्वारा अपने हस्ताक्षर कर उक्त रास्ते को गैरमुमकीन रास्ते के तौर पर दर्ज करवाने हेतु पंचायत ने अपनी सहमति दी थी। इस प्रकार उक्त विवादित रास्ते को गैरमुमकीन रास्ते के तौर पर राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने हेतु की गई सम्पूर्ण कार्यवाही कानूनी प्रावधानों व प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों अनुकूल ही की गई जिससे अपीलार्थीगण की अपील प्रथम दृष्टया ही खारिज योग्य है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने कथन किया है कि कानून का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि दशकों से आमजन द्वारा प्रयोग में लिया जा रहे रास्ते का सह–खातेदारान व आमजन की सहमति से एवं सहुलियत के अनुरूप उक्त रास्ते को राजस्व रिकार्ड में गैरमुमकीन रास्ते के तौर पर दर्ज करवाने की असीमित शक्तियॉ पंचायत एवं अधीनस्थ न्यायालय में निहित है जिसके अनुरूप उक्त विवादित रास्ते को गैरमुमकीन रास्ते के तौर पर दर्ज किया गया है जो विधिसम्मत होने से अपीलार्थीगण की अपील खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। अपील प्रस्तुत होने में हुये विलम्ब के सम्बन्ध में अपर न्यायालयों की अनेकों ऐसी नजीरें है जिनमें अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को कण्डोन किया गया है, ऐसी स्थिति में अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुए एवं विलम्ब के सम्बन्ध में नरमी का रूख अपनाते हुऐ अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुऐ विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। पत्रावली के

P.T.O.

अवलोकन से भी जाहिर होता है कि अपीलार्थीगण एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 3 लगायत 32 वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बरान 156 लगायत 159, 250, 251, 253, व 255 के सह–खातेदार है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 3 लगायत 32 को बिना सुने ही व बिना नम्बर एवं बिना दिनांक अंकित किये अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरित होने से उसे उचित नही ठहराया जा सकता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थीगण स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमराना जिला अलवर द्वारा द्वारा ग्राम निहालपुरा (अकलीमपुर नारेडा चौराहा से नारनौल माजरी रोड तक) ग्राम निहालपुरा पटवार हल्का अकलीमपुर भू–अभिलेख कायसा तहसील नीमराना जिला अलवर में स्थित संयुक्त खाते की आराजी भूमि खसरा नम्बर 156, 157, 158, 159, 255, 253, 251, 250 में कायम किये गये रास्ते के अपीलाधीन आदेश को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमराना जिला अलवर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर एक माह में पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। अधिवक्ता उभयपक्ष दिनांक 23.01.2023 को अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमराना जिला अलवर के समक्ष उपस्थित हो। वर्तमान में रास्ता चालू है तो उसे बन्द नही किया जावें।

(अन्तरसिंह नेहरा)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 09.01.2023 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

9/1/23

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।